(10)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश

96, महात्मा गाँधी मार्ग,
लखनऊ।

ांक 375 कैम्प-प्र०अ०-विकास/03 (मु०-1)/17 दिनांक 18/05/17

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद फिरोजाबाद, आगरा, एटा, कासगंज में यह संज्ञान में आया है कि फर्जी एफ०डी०आर० के आधार पर ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदाओं में प्रतिभाग किया गया है। जनपद फिरोजाबाद में फर्जी एफ०डी०आर० के आधार पर कई अनुबन्ध भी गठित करा दिये गये। इस सम्बन्ध में आदेश दिये जाते हैं कि अगले 10 दिन में पूरे प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में चालू अनुबन्धों के विरूद्ध लगी बैंक गारण्टी/सिक्योरिटी इत्यादि का सत्यापन कराया जाये। एवं सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता इस बात का प्रमाण पत्र प्रमुख अभियन्ता कैम्प में भिजवाना सुनिश्चित करें कि उन्होंने अपने खण्ड/वृत्त में चालू अनुबन्धों में लगी बैंक गारण्टी/अन्य सिक्योरिटी का सत्यापन बैंक से करा लिया है। यदि कोई जाली या फर्जी प्रकरण संज्ञान में आता है तो भी उसकी सूचना इस कैम्प में मुख्य अभियन्ता के माध्यम से उपलब्ध करायी जाये।

10 दिन के उपरान्त अर्थात् दि0 29.05.2017 के उपरान्त यदि कोई प्रकरण जाली/फर्जी बैंक गारण्टी का संज्ञान में आयेगा तो इसके लिए अनुबन्ध बनाने वाले अधिकारी पूर्ण रूप से दोषी माने जायेगें।

18/5/17
(वी0 के0 सिंह)
o/c प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, लो0नि0वि0 को मा0 उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।
3. प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)/(परिकल्प एवं नियोजन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (मु0-1)/(मु0-2)/(सेतु)/(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
5. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 (ईमेल द्वारा)।

18/5/17
o/c प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष